



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) एवं उसके दो दलाल 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 25 अगस्त, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये केसरदान रत्नू जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला बाड़मेर को उसके दलाल जीवनदान चारण एवं आसुसिंह राजपुरोहित (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके निलम्बन काल के समस्त परिलाभ दिलवाने एवं विभागीय जांच में मदद करने की एवज में केसरदान रत्नू जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला बाड़मेर द्वारा 2 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये केसरदान रत्नू पुत्र श्री मलदान चारण निवासी मेधवालों का पुराना बास, चौहटन, जिला बाड़मेर हाल जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला बाड़मेर को उसके दलाल जीवनदान चारण पुत्र श्री कृष्णदान निवासी ग्राम बीजासर तहसील धनाउ, जिला बाड़मेर एवं आसुसिंह पुत्र श्री अमलेख सिंह राजपुरोहित निवासी ग्राम लंगेरा, तहसील व जिला बाड़मेर (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।